



श्रम और रोजगार मंत्रालय

अकुशल गैर-कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी

Posted On: 09 AUG 2017 7:48PM by PIB Delhi

केंद्र सरकार ने 'सी' वर्ग में अकुशल गैर-कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी की समीक्षा करने के लिए 19 जनवरी, 2017 को एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के सुझावों और रेफ्टाकॉस एंड कंपनी बनाम कामगार मुकदमें में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप अकुशल गैर-कृषि मजदूरों की दैनिक मजदूरी को 250 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये प्रतिदिन किए जाने की बात कही गई है।

यह सूचना आज राज्य सभा में श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

वीके/एकेपी/सीएस-3329

(Release ID: 1499065) Visitor Counter : 25

